Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका

कु. स्तुति झा* डॉ. विभा वासुदेव**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) भारत
**प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी देश के विकास में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में अत्यंत परिवर्तन हुआ है। वैदिक काल में **'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता:'** की विचारधारा देखने को मिलती है, तत्पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई। इसके बाद आधुनिक और स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए गए जिसमें सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शोध पत्र में महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका का अध्ययन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना है। मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र शासित एवं राज्य शासित योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है–

लाड़ली लक्ष्मी योजना – यह राज्य शासित योजना बालिकाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच का विकास करना, प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना है। इस योजना से बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। इस योजना से बालिकाओं के सर्वाधिक विकास को सुरक्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। यह योजना बाल विवाह की रोकथाम में सहायक साबित होगी।

लाडो अभियान– मध्य प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए लाडो अभियान वर्ष 2013 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जन समाज में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम हेतु मानसिकता में सकारात्मक बदलाव करना है। यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना– यह केंद्र शासित योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ–साथ उनके द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रमुख प्रावधान महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5000 रुपए दो किश्तों में प्रदान करना है एवं द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म होने पर 6000 रुपए एक किश्त में प्रदान करना है।

शक्ति सदन– भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वाधार योजना एवं उज्जवला योजना का विलय कर शक्ति सदन के नाम से नई योजना 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अंश 60: 40 के अनुपात में रहेगा। इस योजना में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण का निर्माण करना, महिला तस्करी की रोकथाम करना, अनैतिक व्यापार में गई महिलाओं सहित संकट में फंसी हुई महिलाओं को विकट परिस्थितियों से निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

लाड़ली बहना योजना– यह राज्य शासित योजना मध्य प्रदेश में 28 जनवरी 2023 को लागू की गई है। इस योजना में महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किया गया है। इस योजना की सहायता से महिलाओं में परिवार में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबन और परिवार में उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में निरंतर सुधार बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, साथ ही महिलाओं की परिवार में निर्णय लेने की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना हैं। वर्तमान में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए प्रदान किया जा रहे हैं। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके स्वरोजगार के संसाधनों को विकसित करेंगी एवं समाज और परिवार में उनकी भूमिका सशक्त हो सकेगी।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का महिलाओं पर प्रभाव– महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त हुई है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं पर निम्न प्रभाव परिलक्षित होते हैं–

1. **सामाजिक प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का समाज पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, समाज में महिलाओं की भूमिका सशक्त हुई है।

2. **आर्थिक प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से राशि प्रदान करती है, जिससे वह स्वयं के अपने खर्च चला पाती है।

3. **राजनीतिक प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का महिलाओं पर राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। महिलाएं राजनीतिक निर्णय स्वयं कर रही है तथा अपनी पसंद की सरकार को चुन रही है।

4. **रोजगार पर प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा अपने स्वरोजगार को प्राप्त कर रही है।

5. **स्वास्थ्य पर प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं में कुपोषण को दूर करने एवं बीमारी की रोकथाम करने हेतु प्रयास किए गए हैं।

6. **पारिवारिक भूमिका में बदलाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की पारिवारिक भूमिका में बदलाव आया है। अब महिलाएं भी परिवार एवं समाज में पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती हैए साथ ही स्वयं एवं परिवार के निर्णय कर पा रही है।

7. **शिक्षा पर प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं पर शैक्षणिक प्रभाव पड़ा है। समाज में बालिकाओं को शिक्षित करने की विचारधारा में बदलाव आया है, साथ ही बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने का स्तर भी बढ़ा है।

8. **आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

9. **वैचारिक परिवर्तन–** इन कार्यक्रमों द्वारा समाज में वैचारिक परिवर्तन आया है, अब समाज में महिलाओं को लेकर सकारात्मक विचार देखने को मिलते हैं।

10. **स्वावलंबन–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं में स्वावलंबन की भावना जागृत हुई है।

महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, महिलाओं में अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरुकता का स्तर बढ़ा है, बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ हैं एवं महिला सशक्तिकरण में सहायता मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राधिका कपूर, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम https://www.researchgate.net/publication/323725945_Women_and _Child_Development_Programmes
2. डॉ. आशुतोष व्यास, राधेश्याम कमेटी, महिला सशक्तिकरण में महिला बाल विकास की भूमिका एक मूल्यांकन, IJFMR Volume 3, Issue 5, September-October 2021.
3. https://mpwcdmis.gov.in/
4. https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx
5. https://cmladlibahna.mp.gov.in/

****